# III नीतिगत परिवेश

*2020-21 में रिज़र्व बैंक और सरकार की समन्वित नीति प्रतिक्रिया ने जीवन और आजीविका पर महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद की, वित्तीय बाजारों और वित्तीय संस्थानों को चालू रखा और वित्तीय जीवनरेखा प्रवाहित हुई। रिज़र्व बैंक के कुछ उपायों के 2021-22 में पूर्व-निर्धारित सनसेट तिथियों तक पहुंचने के साथ, चलनिधि आंशिक रूप से सिमट गई है, जबकि वित्तीय स्थिरता के लिए विस्तारित सहनशीलता और जोखिमों से बचने के लिए कई नियामक उपायों को फिर से लागू किया गया है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होती है, पर्याप्त बफर बनाने और उभरते जोखिमों के प्रति सतर्क रहने पर नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।*

## 1. भूमिका

III.1 भारतीय अर्थव्यवस्था संक्रमणों में तेज गिरावट और टीकाकरण की गति और पैमाने से उत्प्रेरित होकर महामारी की दूसरी लहर से मजबूती से उबर रही है, जिसके तहत आधे से अधिक वयस्क आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। रोकथाम में ढील और कार्यस्थलों के भरने के साथ, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 2021-22 की पहली छमाही में बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है और उत्पादन महामारी पूर्व के स्तर को पार कर गया है। सकल घरेलू उत्पाद के 8.7 प्रतिशत के पैमाने के राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा संचालित, जीडीपी के 8.7 प्रतिशत की चलनिधि के प्रवाह (जिसमें से 5.9 प्रतिशत का उपयोग किया गया था) और 115 आधार अंकों (बीपीएस) की नीतिगत दर में कटौती, भारतीय अर्थव्यवस्था की यकीनन महामारी की पहली लहर के दौरान दुनिया की सबसे गहरी मंदी में से एक और 2020-21 की दूसरी छमाही में धीमी बहाली हो रही थी, जब यह दूसरी लहर की तेज और संक्रामक शुरुआत से बाधित हुई थी। इस स्थिति में, अभूतपूर्व नीति प्रतिक्रिया ने जीवन और आजीविका पर महामारी के प्रभाव को कम किया है, वित्तीय बाजारों और वित्तीय संस्थानों को चालू रखा है और अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों के बीच वित्त की जीवन रेखा का प्रवाह जारी रखा है। इसने वित्तीय मंदी, सीमित कमी और नौकरी के नुकसान को टाल दिया और गंभीर आपूर्ति और रसद व्यवधानों को आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों पर बाध्यकारी बाधा बनने से रोका।

III.2 एक अस्थायी स्थगन, पुनर्रचित पुनर्रचना/समाधान ढांचे सहित नियामक वितरण, और परिसंपत्ति वर्गीकरण ठहराव ने आर्थिक पूंजी के नुकसान को सीमित करके और चलनिधि को सुगम बनाकर और शोधन क्षमता के दबाव को कम करके इन प्रयासों को समर्थन दिया। बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता बनाए रखना ही व्यापक लक्ष्य रहा है। इन सामयिक नीतिगत हस्तक्षेपों ने व्यक्तियों, एमएसएमई, कॉरपोरेट्स और उधारदाताओं द्वारा अनुभव किए गए दबाव को कम करने और आसान शर्तों पर वित्त की पहुंच को खुला रखने में मदद की। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड जैसे वैश्विक मानक-निर्धारक निकायों के मार्गदर्शन के अनुरूप, नियामक पूंजी और चलनिधि के लिए कुछ कार्यान्वयन समयसीमा को आगे बढ़ा दिया गया था।

III.3 रिज़र्व बैंक के कुछ उपायों के पूर्व-निर्धारित समाप्ति की तारीखों तक पहुँचने के साथ, सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत की चलनिधि समाप्त हो गई है, जिसमें प्राथमिक डीलरों (पीडी), म्यूचुअल फंड (एमएफ) और गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए विशेष चलनिधि योजनाएं और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के तहत बड़े पैमाने पर खरीद शामिल हैं। 27 मार्च 2021 और 22 मई 2021 को

दो चरणों में 4.0 प्रतिशत की सीआरआर कटौती को बहाल किया गया था। वित्तीय स्थिरता के लिए विस्तारित विनियामक सहनशीलता और जोखिमों से बचने के लिए महामारी-समय के कई विनियामक उपायों को फिर से लागू किया गया है। अब तक 2021-22 में, रिज़र्व बैंक अपनी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत स्थिर दर रिवर्स रेपो के तहत परोक्ष अवशोषण से चलनिधि को बाजार आधारित रिवर्स रेपो नीलामियों में पुनर्संतुलित करने में लगा हुआ है, जबकि विकास का समर्थन करने के लिए नीतिगत रुख सिस्टम में पर्याप्त चलनिधि को समायोजित मौद्रिक नीति के अनुरूप सुनिश्चित रहा है। वर्तमान में रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के पैमाने-आधारित विनियमन और प्रतिभूतिकरण पर संशोधित दिशानिर्देशों सहित प्रमुख सुधारों की शुरुआत की है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) की समीक्षा पर मसौदा दिशानिर्देश सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए थे।

III.4 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय खंड II में मौद्रिक और चलनिधि उपायों का वर्णन करता है। इसके बाद खंड III में समीक्षाधीन अवधि (2020-21 और 2021-22) के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्रेडिट सहकारी समितियों और एनबीएफसी से संबंधित नियामकीय नीति संबंधी गतिविधियों का अवलोकन किया गया है। विनियामकीय नीतियों के प्रवर्तन में पर्यवेक्षण की भूमिका और इस क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों को खंड IV में शामिल किया गया है। कुछ नए संस्थागत विकास को खंड V में शामिल किया गया है। वित्तीय बाजारों, विदेशी मुद्रा, ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन से संबंधित नीतियां, और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित पहलों को क्रमशः खंड VI, VII, VIII और IX में शामिल किया गया है। एक सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करते हुए भुगतान ईकोसिस्टम के दायरे और पहुंच को बढ़ाना के लिए रिज़र्व बैंक की पहल को खंड X में वर्णित किया गया है। अध्याय का समापन खंड XI में समग्र मूल्यांकन के साथ होता है।

## 2. मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन

III.5 फरवरी 2019-फरवरी 2020 के दौरान 135 बीपीएस नीतिगत दर में कमी को लागू करते हुए, जिसने मौजूदा सहजता चक्र में संचयी नीति दर में कमी को 250 बीपीएस तक किया, रिज़र्व बैंक ने एक नीति साधन के रूप में एलएएफ कॉरिडोर को नियोजित किया, इसे विषम रूप से बढ़ाकर मार्च-मई 2020 के दौरान रिवर्स रेपो दर को संचयी रूप से 155 बीपीएस से घटाकर 3.35 प्रतिशत कर दिया गया। मई 2020 से, नीति दरों को रोक दिया गया है और आगे के मार्गदर्शन के साथ एक उदार मौद्रिक नीति रुख यह है कि यह रुख तब तक जारी रहेगा जब तक कि विकास को टिकाऊ आधार पर पुनर्जीवित करना और इसे बनाए रखना आवश्यक हो और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करना जारी रखा जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इसकी सभी पाँच बैठकों में भी मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

III.6 अपनी अप्रैल 2021 की बैठक में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने उल्लेख किया कि कोविड -19 स्थिति संपर्क-गहन क्षेत्रों की संभावना को कम कर सकती है, विकास आवेगों को रोक सकती है और सामान्य स्थिति में वापसी में देरी कर सकती है। ऐसे में निरंतर नीतिगत समर्थन को आवश्यक समझा गया। अपनी जून 2021 की नीति में, एमपीसी ने स्वीकार किया कि बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों- विशेष रूप से कच्चे तेल की, लॉजिस्टिक्स लागत के साथ, ने निकट अवधि के मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को बदल दिया है। हालाँकि, विकास का दृष्टिकोण कोविड -19 की दूसरी लहर से प्रभावित था, इसलिए सभी पक्षों से नीतिगत समर्थन आवश्यक हो गया था - वित्तीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय। अपनी अगस्त 2021 की बैठक में, एमपीसी ने यह विचार किया कि ति1: 2021-22 के दौरान मुद्रास्फीति के दबाव बड़े पैमाने पर प्रतिकूल आपूर्ति झटकों से प्रेरित थे, जिन्हें क्षणिक प्रकृति का माना गया था। शुरुआती स्तर की और धीमी बहाली का समर्थन करने के लिए, एमपीसी ने नीति रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

अक्टूबर 2021 की बैठक में, एमपीसी ने देखा कि कुल मांग के दृष्टिकोण में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा था, लेकिन अभी भी कोविड-19 पूर्व के स्तर से नीचे था और बहाली असमान थी। नए कोविड -19 म्यूटेशन के उभरने के बीच बढ़ती अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में दिसंबर 2021 एमपीसी की बैठक आयोजित की गई थी। एमपीसी ने आर्थिक गतिविधियों में धीमी गति को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया, जब तक कि यह आत्मनिर्भर न हो जाए।

III.7 समायोजनात्मक मौद्रिक रुख के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि को बड़े अधिशेष में रखा, जिसमें के साथ 2020-21 तक औसतन ₹4.96 लाख करोड़ और 2021-22 के दौरान ₹ 6.69 लाख करोड़ (22 दिसंबर तक) एलएएफ के तहत दैनिक निवल अवशोषण रहे। रिज़र्व बैंक ने 2020-21 में ओएमओ के माध्यम से ₹ 3.13 लाख करोड़ के शीर्ष पर, जी-एसएपी खरीद सहित, खुले बाजार संचालन (ओएमओ) के माध्यम से 2021-22 (17 दिसंबर तक) में ₹ 2.29 लाख करोड़ डाले। वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री की 19 नीलामियां - ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी) - आयोजित की गईं, जिसमें 10 मार्च, 2021 को एक असममित ओटी भी शामिल था, जिसमें तरलता प्रभाव था (₹15,000 करोड़ की बिक्री के साथ ₹20,000 करोड़ की खरीद) ) 2021-22 के दौरान अब तक (22 दिसंबर तक), रिज़र्व बैंक ने तीन विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) किए, जिसमें एक साथ ₹40,000 करोड़ की संचयी रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल थी (6 मई को ₹10,000 करोड़ और 23 सितंबर और 30 सितंबर को प्रत्येक दिन ₹15,000 करोड़) । बाजार सहभागियों को आगे का मार्गदर्शन प्रदान करते हुए, रिज़र्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय बाजार की स्थिरता और प्रतिफल वक्र का क्रमिक विकास पब्लिक गुड्स थीं, जिसका लाभ अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों को मिलता है।

III.8 क्षेत्र विशेष के दबाव को कम करने के लिए लक्षित चलनिधि उपायों ने महामारी की अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक के टूलकिट का एक महत्वपूर्ण घटक बनाया। लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) को टीएलटीआरओ 2.0 और 'ऑन टैप टीएलटीआरओ' की घोषणा के साथ बढ़ाया गया था।[1] एलटीआरओ और टीएलटीआरओ का लाभ उठाने वाले बैंकों के फंड की लागत को कम करने के लिए, उन्हें सितंबर और नवंबर 2020 और दिसंबर 2021 में पुन: एक विकल्प दिया गया था, जिसमें परिपक्वता से पहले लेनदेन को उलटने और कम रेपो दर पर नए फंड का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, बैंकों ने सितंबर 2020 में एलटीआरओ का ₹1,23,572 करोड़ और 22 दिसंबर 2021 तक संचयी रूप से टीएलटीआरओ का ₹39,782 करोड़ तक का पुनर्भुगतान किया।

III.9 देश में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं 2021-22 की पहली छमाही में रेपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की एक ऑन-टैप चलनिधि विंडो खोली गई (31 मार्च 2022 तक उपलब्ध) ताकि तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं का समर्थन करने के लिए छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए रेपो दर पर ₹10,000 करोड़ के विशेष तीन-वर्षीय दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ) का संचालन करने का निर्णय लिया गया था। रेपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ संपर्क-गहन क्षेत्रों (31 मार्च, 2022 तक

[1] 27 मार्च, 2020 से प्रभावी वित्तीय स्थितियों पर महामारी के प्रकोप के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने पॉलिसी रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर तीन साल की अवधि के लक्षित सावधि रेपो की नीलामी आयोजित की। बैंकों द्वारा इस योजना के तहत प्राप्त चलनिधि को इन बांडों में अपने निवेश के बकाया स्तर से बढ़कर निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में लगाया जाना था। इसके अलावा, 17 अप्रैल, 2020 से, एनबीएफसी और एमएफआई सहित छोटे और मध्यम आकार के कॉरपोरेट्स को चलनिधि को प्रवाह प्रदान करने के लिए, तीन साल तक की अवधि के लिए पॉलिसी रेपो दर पर टीएलटीआरओ 2.0 आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा 9 अक्टूबर 2020 को तीन साल तक की अवधि के साथ टैप टीएलटीआरओ का संचालन करने का निर्णय लिया गया था और बैंकों को इन फंडों को विशिष्ट क्षेत्रों में संस्थाओं द्वारा जारी किए गए डेट-इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की आवश्यकता थी। इस योजना के तहत प्राप्त चलनिधि का उपयोग इन क्षेत्रों को बैंक ऋण और अग्रिम देने के लिए भी किया जा सकता है।

उपलब्ध) में दबाव को कम करने के लिए ₹ 15,000 करोड़ की एक अलग चलनिधि विंडो प्रदान की गई थी।

III.10 बड़ी अधिशेष चलनिधि स्थितियों के बीच, रिज़र्व बैंक ने 8 जनवरी, 2021 को चरणबद्ध और अंशांकित तरीके से सामान्य चलनिधि प्रबंध परिचालन की ओर बढ़ने के लिए कदम उठाए और तदनुसार इसने जनवरी-मार्च 2021 के दौरान पांच 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों का आयोजन किया। तथापि, चलनिधि की किसी भी अतिरिक्त/अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए और बैंकिंग प्रणाली को वर्ष के अंत में चलनिधि प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने के लिए, ₹25,000 करोड़ की दो फाइन-ट्यूनिंग परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी 26 मार्च और 31 मार्च 2021 को क्रमशः 11-दिन और 5-दिवसीय अवधि के लिए को आयोजित की गई थी। इसके अलावा 26 मार्च 2021 को 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया ताकि वर्ष के अंत की आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

III.11 फरवरी 2020 में स्थापित संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के साथ चलनिधि प्रबंधन कार्यों का क्रमिक सामान्यीकरण 2021-22 के दौरान चलनिधि प्रबंधन की एक प्रमुख विशेषता थी। अधिशेष चलनिधि को एलएएफ के तहत ओवरनाइट फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो और अलग-अलग परिपक्वता की वीआरआरआर नीलामियों के माध्यम से हटा दिया गया था। बाजार की प्रतिक्रिया और उच्च पारिश्रमिक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध तरीके से पाक्षिक वीआरआरआर नीलामियों के आकार में वृद्धि की। परिणामस्वरूप, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो विंडो के तहत दैनिक औसत अवशोषण काफी कम होकर वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही (22 दिसंबर तक) में ₹2.3 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में ₹4.6 लाख करोड़ हो गया।

*अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं*

III.12 क्षेत्रीय ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाओं के रूप में 2020-21 में एआईएफआई को प्रदान किए गए ₹75,000 करोड़ के परिप्रेक्ष्य में , रिज़र्व बैंक ने एआईएफआई को 2021-22 के दौरान नए ऋण देने के लिए ₹66,000 करोड़ की अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्रदान की। इसमें मई 2020 में यूएस डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए 90 दिनों की अवधि के लिए एक्ज़िम बैंक को ₹ 15,000 करोड़ की ऋण व्यवस्था शामिल थी, जिसका लाभ नहीं उठाया गया था (सारणी III.1ए और III.1बी)।

## 3.विनियामक नीतियां

III.13 केंद्रीय बैंकों के साथ समन्वय में, दुनिया भर में, रिजर्व बैंक ने ऋणों पर स्थगन, ऋण पुनर्गठन के लिए विशेष योजनाएं, परिसंपत्ति गुणवत्ता ठहराव, लाभांश भुगतान पर प्रतिबंध,

**सारणी III.1ए: एआईएफआई के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा**

(₹ करोड़)

| एआईएफआई | में घोषित एसआरएफ सुविधाएं | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अप्रै-20 | मई-20 | अग-20 | अप्रै-21 | जून-21 | |
| नाबार्ड | 25,000 | - | 5,000 | 25,000 | - | 55,000 |
| एनएचबी | 10,000 | - | 5,000 | 10,000 | - | 25,000 |
| सिडबी | 15,000 | - | - | 15,000 | 16,000 | 46,000 |
| एक्जिम बैंक | - | 15,000 | - | - | - | 15,000 |
| कुल | 50,000 | 15,000 | 10,000 | 50,000 | 16,000 | 141,000 |

**स्रोत:** आरबीआई।
**नोट:** ' - ' का अर्थ है शून्य/लागू नहीं।

**सारणी III.1बी: एआईएफआई द्वारा संस्था-वार ऋण प्राप्ति**

(₹ करोड़)

| विस्तारित ऋण | 2020-21 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | एआईएफआई द्वारा प्राप्त एसएलएफ | एआईएफआई द्वारा वितरित ऋण | एआईएफआई द्वारा प्राप्त एसएलएफ | एआईएफआई द्वारा वितरित ऋण |
| सहकारी बैंक | 16,300 | 16,300 | 13,000 | 15,053 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 6,700 | 6,700 | 7,000 | 8,066 |
| सूक्ष्म वित्त संस्थान | 4,839 | 5,975 | 1,200 | 2,454 |
| लघु वित्त बैंक | 3,672 | 3,772 | - | 200 |
| एमएसएमई | 6,755 | 10,484 | 10,800 | 11,232 |
| आवास वित्त कंपनियां | 10,425 | 10,425 | 7,602 | 7,612 |
| कुल | 48,691 | 53,656 | 39,602 | 44,617 |

**नोट:** 1 7 दिसंबर 2021 के अनुसार आंकड़े
2 ' - ' शून्य/लागू नहीं
**स्रोत :** एनएचबी, नाबार्ड, सिडबी द्वारा प्रस्तुत की गई साप्ताहिक रिपोर्ट

क्रेडिट गारंटी योजनाओं के अंतर्गत शामिल ऋण सुविधाओं पर शून्य जोखिम भार की भी घोषणा की थी जो सरकार द्वारा समर्थित थीं और जुड़े प्रतिपक्षकारों के एक समूह के लिए बैंकों के जोखिम की सीमा में वृद्धि, जिनमें से अधिकांश ने 2020-21 में ही अपना समय पूरा कर लिया था।

### III. ए एससीबी के लिए एक विनियामक नीतियां

*कोविड-19 संकटग्रस्त आस्तियों के लिए समाधान*

III.14 एक साल पहले पेश किए गए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत 06 अगस्त 2020 को कोविड -19 संबंधित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक विंडो की घोषणा की गई थी। इसने स्वामित्व में बदलाव के बिना पात्र कॉर्पोरेट एक्सपोजर के संबंध में एक समाधान योजना (आरपी) के कार्यान्वयन को सक्षम किया, और व्यक्तिगत ऋणों को भी कवर किया, जबकि उन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। आरपी में भुगतानों का पुनर्निर्धारण, किसी अन्य क्रेडिट सुविधा में अर्जित किसी भी ब्याज का रूपांतरण, अन्य संस्थाओं को एक्सपोजर की बिक्री, स्वामित्व में परिवर्तन और पुनर्गठन की अनुमति थी। 1 मार्च, 2020 तक किसी भी ऋण देने वाली संस्था के साथ मानक के रूप में वर्गीकृत और जिनको आह्वान की तारीख तक मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रखा गया और 30 दिनों से अधिक के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाले उधारकर्ता, इस ढांचे के तहत समाधान के लिए पात्र थे। समाधान ढांचे को 31 दिसंबर, 2020 तक लागू करने की आवश्यकता थी, और आरपी को व्यक्तिगत ऋण के लिए 90 दिनों के भीतर और अन्य पात्र ऋणों के लिए 180 दिनों के भीतर लागू किया जाना था।

III.15 विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री के.वी. कामथ) की सिफारिशों ने पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में आरपी को अंतिम रूप देते समय उधार देने वाली संस्थाओं को निर्देशित किया । विशेषज्ञ समिति ने पांच वित्तीय मानकों की सिफारिश की थी , *जैसे* कुल बाहरी देयता/समायोजित मूर्त निवल मूल्य; कुल ऋण/ईबीआईडीटीए; वर्तमान अनुपात; ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर); और समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित आरपी में फैक्टरिंग के लिए औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (एडीएससीआर)। इसने 26 क्षेत्रों के संबंध में इन अनुपातों के लिए न्यूनतम या अधिकतम की तरह कार्य करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट थ्रेसहोल्ड की भी सिफारिश की थी, जबकि उधार देने वाली संस्थाएं अन्य क्षेत्रों के संबंध में ये निर्णय ले सकती हैं।

III.16 बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक नई पुनर्गठन योजना की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, महामारी की दूसरी लहर के आने पर 180 दिनों की कार्यान्वयन समय सीमा अभी भी चालू थी। हालांकि, विशेष रूप से व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के उद्देश्य से एक ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई थी। रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क - 2.0 इन उधारकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5 मई, 2021 को जारी किया गया था, जिसने उनके परिसंपत्ति वर्गीकरण (सारणी III.2) में गिरावट के बिना समाधान योजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति दी थी। इस सुविधा को 30 सितंबर 2021 तक लागू किया जा सकता था, जबकि

**सारणी III.2: कोविड -19 तनावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए समाधान ढांचा**

| विशेषताएं | संकल्प फ्रेमवर्क 1.0 | संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 |
|---|---|---|
| आरंभ किया गया | 6 अगस्त 2020 | 5 मई, 2021 |
| का लक्ष्य | कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत ऋण | व्यक्ति और एमएसएमई, छोटे उधारकर्ता |
| आवश्यक शर्तें | 1 मार्च, 2020 तक<br>• परिसंपत्ति मानक होनी चाहिए<br>• परिसंपत्ति 30 दिनों से अधिक के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं है<br>• आह्वान की तिथि के अनुसार मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए | 31 मार्च, 2021 तक<br>• परिसंपत्ति मानक होनी चाहिए<br>• रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क का लाभ नहीं उठाना चाहिए था - 1.0 अथवा एमएसएमई के लिए कोई पिछले रिजल्यूशन फ्रेमवर्क |
| आह्वान की समय सीमा | 31 दिसंबर 2020। व्यक्तिगत ऋण के लिए आह्वान की तिथि से आरपी को आवश्यक रूप से 90 दिनों के भीतर और अन्य पात्र एक्सपोजरों के लिए 180 दिनों के भीतर लागू किया जाना चाहिए | 30 सितंबर, 2021। आरपी को आह्वान की तारीख से 90 दिनों के भीतर लागू किया जाना चाहिए। |
| अतिरिक्त प्रावधान | 10 प्रतिशत; एमएसएमई का 5 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |
| परिसंपत्ति वर्गीकरण | कार्यान्वयन के बाद आस्तियां मानक बनी हुई हैं * | कार्यान्वयन के बाद आस्तियां मानक बनी हुई हैं ** |
| स्वामित्व परिवर्तन | अनिवार्य नहीं, संकल्प में परिकल्पित होने पर ही आवश्यक है | अनिवार्य नहीं, संकल्प में परिकल्पित होने पर ही आवश्यक है |

**नोट:** * यदि कार्यान्वयन के दौरान परिसंपत्ति एनपीए में चली जाती है, तो कार्यान्वयन होने पर यह मानक में अपग्रेड किया जा सकता है।

** यदि आस्ति लागू होने के बाद या उसके दौरान एनपीए में चली जाती है तो कार्यान्वयन के बाद इसे मानक में अपग्रेड किया जा सकता है।

**स्रोत:** आरबीआई।

कार्यान्वयन की तारीख से 90 दिनों के भीतर कार्यान्वयन पूरा किया जाना था। जबकि सभी व्यक्तिगत ऋण आह्वान के लिए योग्य थे, 31 मार्च, 2021 को ₹50 करोड़ की कुल जोखिम सीमा छोटे और व्यक्तिगत स्वामित्व वाले व्यवसायों के साथ-साथ एमएसएमई के लिए निर्धारित की गई थी।

*चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान*

III.17 दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को सरकार ने व्यक्तिगत और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए एक योजना की घोषणा की, जिसमें उधारकर्ताओं को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की *पूर्व*- भुगतान की परिकल्पना की गई है। इस योजना ने ऋणस्थगन अवधि अर्थात 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के दौरान 2 करोड़ रुपये तक की कुल उधारी वाले इन उधारकर्ताओं को राहत प्रदान की। इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च, 2021 के अपने आदेश में बैंकों को सभी उधारकर्ताओं को उपरोक्त अंतर की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया।

*सोने के गहनों और आभूषणों पर ऋण के लिए ऋण-से-मूल्य अनुपात*

III.18 दिनांक 6 अगस्त 2020 को गैर-कृषि अंतिम उपयोग के लिए सोने के गहनों और आभूषणों के लिए ऋण-से-मूल्य अनुपात (एलटीवी) को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया था। 31 मार्च 2021 तक लागू इस अस्थायी प्रावधान का उद्देश्य घरों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को महामारी के आर्थिक प्रभाव के खिलाफ एक राहत प्रदान करना था। विश्लेषण से पता चलता है कि 2020-21 में फ़्लैगिंग व्यक्तिगत ऋण खंड इस उपाय से उत्साहित था (चार्ट III.1)।

*बैंकों द्वारा लाभांश घोषणा*

III.19 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वे 2019-20 से संबंधित मुनाफे से अपने इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश भुगतान न करें। इससे विशेष रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के प्रावधानों को मजबूत करने में मदद मिली, ताकि कोविड -19

**चार्ट III.1: व्यक्तिगत ऋण की तुलना में स्वर्ण ऋण**

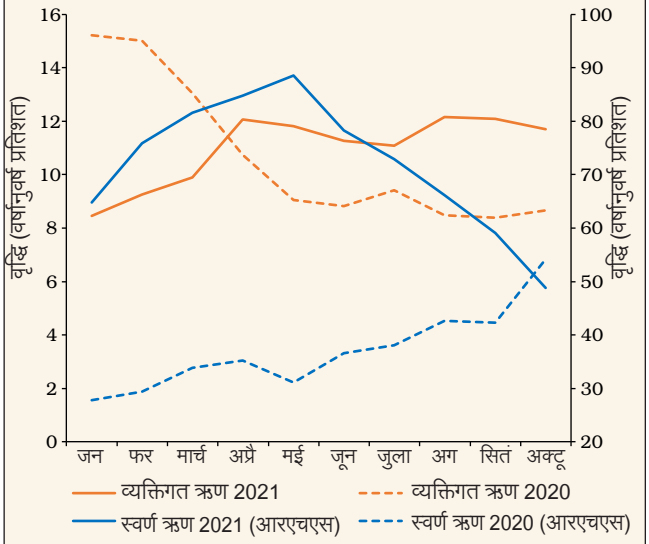


**स्रोत**: आरबीआई।

के कारण आसन्न ऋण हानियों को अवशोषित किया जा सके और ऋण वृद्धि का समर्थन करने के लिए पूंजी का संरक्षण किया जा सके। वर्ष 2020-21 के लिए नीति की समीक्षा की गई और बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि वे लाभांश भुगतान के बाद न्यूनतम नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखें। बैंक बोर्डों से आग्रह किया गया था कि वे लाभांश भुगतान पर विचार करते समय आर्थिक वातावरण और लाभप्रदता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, लागू पूंजी आवश्यकताओं और प्रावधानों की पर्याप्तता की तुलना में बैंक की वर्तमान और अनुमानित पूंजी स्थिति पर विचार करें।

*नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव*

III.20 मौद्रिक और चलनिधि की स्थिति की समीक्षा के आधार पर बैंकों को सूचित किया गया था कि सीआरआर - जो कि 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से उनकी शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों (एनडीटीएल) के 3 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था दो चरणों में, *अर्थात* 27 मार्च, 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल का 3.5 प्रतिशत और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी 4 प्रतिशत पर बहाल कर दिया गया था। (चार्ट III.2)।

**चार्ट III.2: सीआरआर कट का प्रभाव**

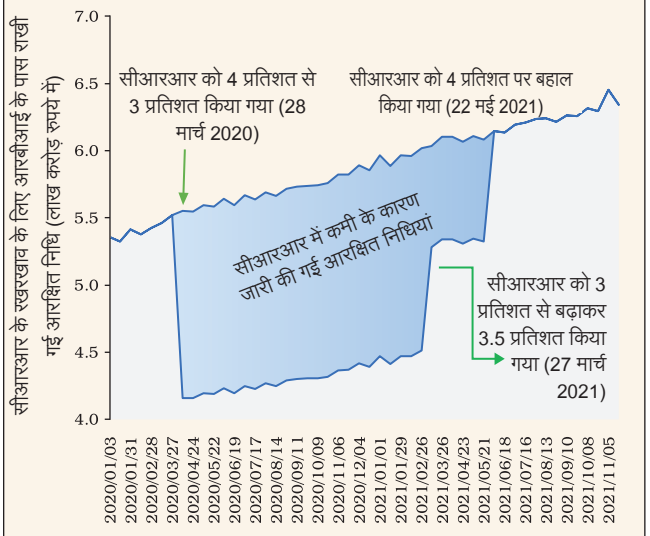


**स्रोत:** आरबीआई की धारा 42 का रिटर्न।

**चार्ट III.3: एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एचटीएम में एसएलआर**

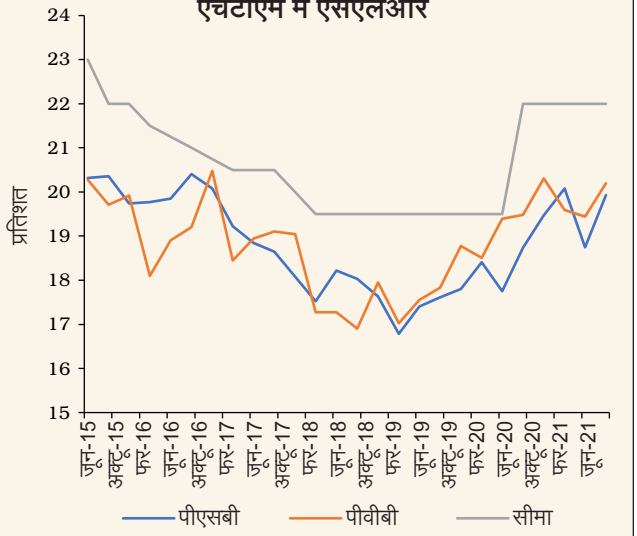


**स्रोत:** आरबीआई की ओएसएमओएस और धारा 42 रिटर्न।

*एमएसएमई उद्यमियों को ऋण*

III.21 दिनांक 5 फरवरी 2021 को बैंकों को नए एमएसएमई उधारकर्ताओं से दिये गए ऋण के बराबर राशि की कटौती करने की अनुमति दी गई थी जो कि 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक वितरित क्रेडिट के लिए सीआरआर की गणना के लिए उनके एनडीटीएल से प्रति उधारकर्ता 25 लाख तक हो सकता है ताकि एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित किया जा सके। इस छूट को 31 दिसंबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक वितरित क्रेडिट के लिए आगे बढ़ाया गया था।

*परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) होल्डिंग्स*

III.22 एचटीएम श्रेणी के तहत एसएलआर प्रतिभूतियों में आगे निवेश के लिए बैंकों के लिए उपलब्ध हेडरूम जून 2020 तक समाप्त हो रहा था (चार्ट III.4)। एक बड़े सरकारी उधार कार्यक्रम का सामना करते हुए, बैंकों को 31 मार्च, 2023 तक एनडीटीएल (19.5 प्रतिशत के बजाय) की 22 प्रतिशत की कुल सीमा तक एचटीएम सीलिंग को पार करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि इस तरह की अधिकता 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच एसएलआर प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के कारण हो। यह भी निर्णय लिया गया कि 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से बढ़ी हुई एचटीएम सीमा को 19.5 प्रतिशत तक बहाल किया जाएगा।

*सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) रखरखाव के लिए एसएलआर में गिरावट - छूट का विस्तार*

III.23 बैंकों को अपने एनडीटीएल के अतिरिक्त एक प्रतिशत तक, *यानी* कुल मिलाकर एनडीटीएल के तीन प्रतिशत तक एसएलआर में डुबकी लगाकर एमएसएफ के तहत धन प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, बाद में चरणों में 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी, जिससे बैंकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं के संबंध में राहत प्रदान किया गया और साथ ही उन्हें अपने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया गया। बैंकों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नौ महीने, यानी 31 दिसंबर, 2021 तक का और विस्तार दिया गया था। हालांकि, सामान्य व्यवस्था को बहाल किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 2022 से अनुसूचित बैंक एसएलआर को एमएसएफ के अंतर्गत उधार के लिए तीन प्रतिशत के बजाय एनडीटीएल के दो प्रतिशत तक घटा सकते हैं।

*पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की अंतिम किश्त का आस्थगन*

III.24 सीसीबी के 0.625 प्रतिशत की अंतिम किश्त 31 मार्च 2020 तक लागू होने वाली थी। बैंक बैलेंस शीट पर कोविड -19 के कारण चल रहे दबाव को देखते हुए, इसके कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर, 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। यह तब से लागू है।

*निवल स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन में स्थगन*

III.25 इसी तरह, कोविड -19 के कारण चल रहे दबाव को देखते हुए, एनएसएफ़आर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर 2021 तक के लिए टाल दिया गया और तब से यह लागू हो गया है।

*विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा*

III.26 बैंकों के विनियामकीय खुदरा (रेगुलेटरी रिटेल) पोर्टफोलियो में शामिल एक्सपोजर पर 75 फीसदी का जोखिम भार (रिस्क वेटेज) लगता है। विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो के रूप में पहचाने जाने वाले दावों के लिए चार योग्यता मानदंडों में से एक प्रतिपक्षी में कुल खुदरा एक्सपोज़र के ₹ 5 करोड़ की सीमा थी। व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों (यानी ₹50 करोड़ तक के कारोबार के साथ) वाले इस खंड के लिए ऋण की लागत को कम करने के लिए और बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप, सभी नए लोगों और वृद्धिशील अर्हक एक्सपोजर के लिए भी इस सीमा को बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ कर दिया गया था ताकि ऐसे ऋणों पर बैंकों की पूंजी आवश्यकता को घटाने के द्वारा एमएसएमई सहित छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रवाह का विस्तार किया जा सके ।

*व्यक्तिगत आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाना*

III.27 एक प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में, 16 अक्टूबर, 2020 और 31 मार्च, 2022 के बीच स्वीकृत सभी नए व्यक्तिगत आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया, राशि चाहे जो हो (सारणी III.3)। जोखिम भार में संशोधन का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र को बैंक ऋण देने को बढ़ावा देना है।

**सारणी III.3: नए आवास ऋणों के लिए जोखिम भार**

| बकाया ऋण | पहले के मानक | | संशोधति मानक | |
|---|---|---|---|---|
| | मूल्य अनुपात की तुलना में ऋण (%) | जोखिम भार (%) | मूल्य अनुपात की तुलना में ऋण (%) | जोखिम भार (%) |
| ₹30 लाख तक | एलटीवी≤ 80 | 35 | एलटीवी≤ 80 | 35 |
| | 80<एलटीवी≤ 90 | 50 | 80<एलटीवी≤ 90 | 50 |
| ₹30 लाख से अधिक और ₹75 लाख तक | एलटीवी≤ 80 | 35 | एलटीवी≤ 80 | 35 |
| | | | 80<एलटीवी≤ 90 | 50 |
| ₹75 लाख से ऊपर | एलटीवी≤ 75 | 50 | एलटीवी≤ 80 | 35 |
| | | | 80<एलटीवी≤ 90 | 50 |

**स्रोत:** आरबीआई।

*बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने को सरल बनाना*

III.28 दिनांक 6 अगस्त, 2020 को बैंकों पर चालू खाते खोलने और संचालित करने और उधारकर्ताओं के लिए नकद क्रेडिट (सीसी) / ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे। इस नीति का उद्देश्य उधारकर्ताओं द्वारा कई खातों के उपयोग को सुव्यवस्थित करना और धन के अपयोजन (डायवर्जन) को रोकना था। इस नीति ने बैंकों को उन ग्राहकों के लिए चालू खाता खोलने से रोका, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से सीसी/ओडी के रूप में क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है। ऐसे उधारकर्ताओं के सभी लेन-देन केवल सीसी/ओडी खाते के माध्यम से किए जाएंगे। जिन ग्राहकों ने किसी भी बैंक से सीसी/ओडी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, उन्हें कुछ शर्तों के तहत चालू खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है।

III.29 परिचालनीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में ₹5 करोड़ से कम के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ताओं पर प्रतिबंधों में ढील दी। हालांकि, यह ऐसे उधारकर्ताओं से एक वचनबद्धता प्राप्त करने के अधीन है कि उनके द्वारा बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त क्रेडिट सुविधाएं इस सीमा को पार करें तो वे बैंक (बैंकों) को सूचित करेंगे। उन उधारकर्ताओं के संबंध में जहां बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर रु. 5 करोड़ या उससे अधिक है, ऐसे उधारकर्ता ऐसे बैंकों में किसी एक के

साथ चालू खाता बनाए रख सकते हैं, जिनके पास से उसने सीसी/ओडी की सुविधा ली है, बशर्ते बैंक के पास उस उधारकर्ता से जुड़ा बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर का कम से कम 10 प्रतिशत हो।

*ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण*

III.30 दिनांक 24 सितंबर 2021 को रिज़र्व बैंक ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) तंत्र और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी वर्तमान विनियामकीय संरचना के अनुरूप बनाने के लिए ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर मौजूदा दिशानिर्देशों का सामंजस्य स्थापित किया। जो ऋण चूक (डिफॉल्ट) में हैं उनको हस्तांतरितियों के व्यापक संसार को अंतरित किए जाने की अनुमति है। जो ऋण चूक (डिफॉल्ट) में नहीं हैं उनको असाइनमेंट, नोवेशन या ऋण भागीदारी अनुबंध के माध्यम से ऋण के हस्तांतरण की अनुमति दिशानिर्देशों ने दी थी। यदि कोई डिफॉल्ट ऋण हस्तांतरित किया जाता है, तो उधार देने वाली संस्था द्वारा उसी उधारकर्ता को फिर से ऋण दिए जाने के पहले कम से कम एक वर्ष की कूलिंग अवधि निर्धारित की गई थी। यदि डिफॉल्ट ऋण को रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं की गई इकाई को हस्तांतरित किया जाता है, तो कूलिंग अवधि तीन वर्ष की होगी। ऋणों के हस्तांतरण के लिए न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) की आवश्यकता को सरल किया गया था। जो ऋण चूक (डिफॉल्ट) में नहीं हैं उनके हस्तांतरण के लिए 10 प्रतिशत की न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) निर्धारित की गई थी, जहां अधिग्रहण करने वाला ऋणदाता पोर्टफोलियो के कम से कम एक तिहाई के लिए व्यक्तिगत ऋण स्तर पर उचित समुचित सावधानी बरतने में असमर्थ है। मूल्य निर्धारण के लिए, स्विस चैलेंज पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया है, जहां सभी उधारदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ या उससे अधिक है, साथ ही ऐसे मामलों में जहाँ प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत एक समाधान योजना के रूप में ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण होता है। धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत ऋण एक्सपोजर को निरंतर रिपोर्टिंग, निगरानी,कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज करने और कार्यवाही की जिम्मेदारियों के साथ परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि रिजर्व बैंक ने निर्दिष्ट किया कि एआरसी को ऐसे ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण कर देने से हस्तांतरणकर्ता धोखाधड़ी पर मौजूदा अनुदेशों के तहत अपेक्षित कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने से मुक्त नहीं होगा।

III.31 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एआरसी की संख्या, आकार और क्षमता में जबरदस्त वृद्धि को देखते हुए, एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए अप्रैल 2021 में एक समिति का गठन किया गया था (बॉक्स III.1)।

*मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण*

III.32 एक मजबूत प्रतिभूतिकरण बाजार विकसित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने अपनी संरचना को सरल बनाया और 24 सितंबर, 2021 को बेसल III दिशानिर्देशों के साथ मौजूदा दिशानिर्देशों को संरेखित किया। यह निर्देश केवल पारंपरिक प्रतिभूतिकरण *यानी* विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीई) द्वारा जारी प्रतिभूतियों की अनुमति देते हैं , जहां नकदी प्रवाह एक ऋणदाता से प्राप्त अंतर्निहित ऋणों के एक पूल से होता है। एक प्रवर्तक और एक एसपीई के बीच कोई भी लेनदेन 'सख्ती से आर्म्स लेंथ बेसिस पर' होना चाहिए। इसके अलावा, ऋण को बढ़ाने की सुविधाएं प्रतिभूतिकरण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं।

III.33 इसने एमएचपी और एमआरआर की आवश्यकताओं को सरल बनाया है। प्रतिभूतिकरण नोटों की सूची बनाना, विशेष रूप से आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों के लिए, इसकी आवश्यकता तब होती है जब प्रतिभूतियां 50 या अधिक निवेशकों को बेची जाती हैं। आगे के संशोधनों में एकल परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण की अनुमति, सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी) प्रतिभूतिकरण के मामले में रियायती पूंजी व्यवस्था, बेसल III मानदंडों के अनुरूप ऋण वृद्धि और पूंजी आवश्यकताओं के रीसेट को नियंत्रित करने वाले सरल निर्देश शामिल हैं, जो उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा धारित वरिष्ठता, मोटाई और प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की परिपक्वता में भी कारक हैं।

**बॉक्स III.1: परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के कामकाज की समीक्षा के लिए समिति की रिपोर्ट**

एआरसी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रवर्तकों को उनकी बहीखातों से अवरुद्ध और दबावग्रस्त वाली वित्तीय आस्तियों को हटाकर उधार देने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिल सके। हालांकि, अब तक के अनुभव से पता चलता है कि व्यवसायों की बहाली और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के मामले में एआरसी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। रिजर्व बैंक ने उन पर लागू मौजूदा कानूनी और विनियामक ढांचे की समीक्षा करने और उनकी प्रभावकारिता में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति (अध्यक्ष: श्री सुदर्शन सेन) का गठन किया, जिसने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 2 नवंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

1. दबाव के शुरुआती चरण में एनपीए को बेचने के लिए उधारदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, इसने दो साल की अवधि में दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री पर नुकसान के परिशोधन की सिफारिश की है।
2. ₹500 करोड़ की वित्तीय आस्तियों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए, ऊपर दिये गए दो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा और ₹100 करोड़ और ₹500 करोड़ के बीच की परिसंपत्ति के लिए एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की सिफारिश की जाती है।
3. एक उधारकर्ता से संबंधित सभी ऋण प्राप्त करने के लिए एआरसी की क्षमता को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक को उन संस्थाओं को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जा सकता है जिनसे एआरसी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतियों के हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, इन शक्तियों का उपयोग करते हुए, रिजर्व बैंक एआरसी को सभी विनियमित संस्थाओं और खुदरा निवेशकों से वित्तीय परिसंपत्ति हासिल करने की अनुमति देने पर विचार करें।
4. कंसोर्टियम/एकाधिक बैंकिंग व्यवस्था के तहत वित्तीय आस्तियों के लिए, यदि 66 प्रतिशत ऋणदाता (मूल्य के आधार पर) एआरसी द्वारा एक प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं, तो इसे शेष उधारदाताओं पर बाध्यकारी बनाया जा सकता है और अधिकांश उधारदाताओं द्वारा अनुमोदन से इसे 60 दिनों के भीतर लागू किया जाना चाहिए।
5. यह देखते हुए कि दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त फंडिंग उनके व्यवसायों को पुनर्जीवित करने की कुंजी है, एआरसी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को पुनर्गठन/वसूली की सुविधा के लिए उनके द्वारा अर्जित ऋण हेतु एक अतिरिक्त वाहन के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
6. बेहतर मूल्य प्राप्ति और वसूली में एआरसी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, उधारकर्ता के स्वामित्व वाली इक्विटी को भी एआरसी को बेचने की अनुमति दी जा सकती है।
7. एआरसी को या तो उनके एसआर ट्रस्ट के माध्यम से या उनके द्वारा प्रायोजित एआईएफ के माध्यम से एक समाधान आवेदक के रूप में आईबीसी के तहत भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।
8. एसआर की लिस्टिंग और ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए, पात्र योग्य खरीदारों की सूची का विस्तार किया जा सकता है ताकि उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई), कॉरपोरेट्स, एनबीएफसी/एचएफसी, ट्रस्टों, पारिवारिक कार्यालयों, पेंशन फंडों और संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंडों को उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ शामिल किया जा सके।
9. इच्छुक और परिष्कृत निवेशकों के बीच जोखिम के वितरण के साथ-साथ एसआर निवेशकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए, एआरसी द्वारा एसआर में न्यूनतम निवेश एसआर में उधारदाताओं के निवेश के 15 प्रतिशत या जारी किए गए कुल एसआर में से 2.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो पर, निर्दिष्ट किया जा सकता है। ।
10. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में एआरसी के लिए परिकल्पित व्यापक भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एआरसी के लिए न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि आवश्यकता को बढ़ाकर ₹200 करोड़ किया जा सकता है।

*भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा*

III.34 भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व और कॉर्पोरेट संरचना पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। आईडब्ल्यूजी द्वारा की गई 33 सिफारिशों में से, रिजर्व बैंक ने 21 सिफारिशों (कुछ आंशिक संशोधनों के साथ) को स्वीकार कर लिया है और शेष 12 सिफारिशों की जांच की जा रही है। स्वीकृत प्रमुख सिफारिशें प्रमोटरों की प्रारंभिक शेयरधारिता के लिए लॉक-इन अवधि, लंबे समय में प्रमोटरों की शेयरधारिता की सीमा और डाइल्यूशन अपेक्षाओं, गैर-प्रमोटरों की होल्डिंग पर कैप, लॉक-इन अवधि के दौरान प्रमोटरों द्वारा शेयरों को गिरवी रखना, प्रारंभिक पूंजीगत आवश्यकताएं, कॉर्पोरेट संरचना - गैर-ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी), लिस्टिंग आवश्यकताएं और विभिन्न लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के सामंजस्य से संबंधित हैं।

*केंद्रीकृत केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) का कानूनी संस्थाओं (एलई) तक विस्तार*

III. 35 धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) विनियामवली नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी 2017 को या

उसके बाद सीकेवाईसीआर पर खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) डेटा अपलोड करती रही हैं। परिणामत:, इस सुविधा का उपयोग, विशेष रूप से आरबीआई-आरई द्वारा किए गए अपलोड के मामले में तेजी से बढ़ा है (सारणी III.4)।

III.36 चूंकि सीकेवाईसीआर अब व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए पूरी तरह से चालू है, इसलिए 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद खोले गए कानूनी संस्थाओं (एलई) खातों से संबंधित केवाईसी डेटा तक इसका विस्तार कर दिया गया है।

*आरआरबी में चलनिधि प्रबंध के लिए नीति*

III.37 इससे पहले, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पास रिजर्व बैंक के एलएएफ/एमएसएफ विंडो के साथ-साथ कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच नहीं थी। 4 दिसंबर, 2020 को रिज़र्व बैंक ने कुशल चलनिधि प्रबंधन की सुविधा के लिए, कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, इन सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की।

*सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा के लिए विनियामक ढांचा*

III. 38 बैंकों द्वारा 18 अगस्त, 2021 को दी गई सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा के लिए व्यापक संशोधित निर्देश जारी किए गए थे। लॉकरों की सुरक्षा के बढ़े हुए मानक, विभिन्न परिस्थितियों में लॉकर सामग्री को खोलकर उसके निर्वहन की विस्तृत प्रक्रिया और पंजीकृत ईमेल के माध्यम से अलर्ट सुविधा / लॉकर परिचालन के लिए एसएमएस शुरू किए गए हैं। बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण लॉकर की सामग्री के नुकसान के मामले में बैंकों को वार्षिक लॉकर किराए के सौ गुना की सीमा तक उत्तरदायी बनाया गया है।

### III.बी सहकारी बैंकों के लिए विनियामकीय नीतियां

*सहकारी बैंकों का दोहरा नियंत्रण और बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 में संशोधन*

III.39 सहकारी बैंकों पर बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 के कुछ सांविधिक प्रावधानों के लागू न होने के कारण सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए रिज़र्व बैंक की शक्तियां सीमित थीं, जिसने इन बैंकों के कामकाज में अनियमितताओं/कमियों के मामले में आवश्यक और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया। वर्ष 2020 में किए गए अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य पूंजी तक बेहतर पहुंच को सुगम बनाते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा अभिशासन फ्रेमवर्क और निरीक्षण में सुधार करके जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और सहकारी बैंकों को मजबूत करने की ज़रूरत जतायी। संशोधन 29 जून 2020 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रभावी हुआ और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ।

**सारणी III.4: सीकेवाईसीआर के उपयोग में प्रगति**

मार्च की समाप्ति के अनुसार

| | | मार्च-18 | मार्च-19 | मार्च-20 | मार्च-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| आरबीआई विनियमित संस्थाएं | अपलोड | 1,55,01,944 | 8,46,82,357 | 19,09,38,547 | 32,87,67,274 |
| | | (62.5) | (83.6) | (89.4) | (91.9) |
| | डाउनलोड | 16,00,759 | 1,07,52,654 | 5,57,75,772 | 11,34,35,629 |
| | | (53.1) | (76.1) | (89.2) | (88.9) |
| | अपडेट | 5,45,154 | 45,60,320 | 1,48,89,628 | 2,47,08,320 |
| | | (81.1) | (90.2) | (92.2) | (89.5) |
| कुल (सभी विनियामक) | अपलोड | 2,48,04,036 | 10,13,40,205 | 21,36,23,723 | 35,76,55,517 |
| | डाउनलोड | 30,16,508 | 1,41,25,982 | 6,25,24,746 | 12,76,56,314 |
| | अपडेट | 6,72,235 | 50,56,616 | 1,61,41,539 | 2,76,08,769 |

**नोट:** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।
**स्रोत:** आरबीआई।

III.40 बीआर अधिनियम, 1949 की संशोधित धारा 3 अधिनियम के प्रावधानों को उन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) या सहकारी समितियों के लिए अनुपयुक्त बनाती है जिनका प्राथमिक उद्देश्य और प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घावधिक वित्त प्रदान करना है, और इनके नाम में "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों का प्रयोग नहीं करने और चेक के अदाकर्ता के रूप में कार्य नहीं करना है। अधिनियम की धारा 45 में हुए संशोधन ने रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार की मंजूरी से, किसी स्थगन को लागू करने के साथ या उसके बिना किसी बैंक का पुनर्निर्माण या समामेलन करने में सक्षम बनाया। यह संशोधन रिज़र्व बैंक को संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से किसी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का स्थान लेने की शक्ति भी प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 56 में संशोधन से वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के बीच विनियामकीय मध्यस्थता को कम करने में मदद मिलेगी।

*सहकारी बैंकों का समामेलन*

III.41 अतीत में, शहरी सहकारी बैंकों के बीच विलय और समामेलन को रिज़र्व बैंक और सहकारी समितियों के संबंधित रजिस्ट्रार दोनों के द्वारा अनुमोदित किया जाता था। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अधिनियमन के बाद, रिज़र्व बैंक को प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए अधिक अधिकार प्राप्त हुए। इस संबंध में मास्टर निर्देश 23 मार्च, 2021 को जारी किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित यूसीबी के बोर्ड के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने सहित समामेलन की आवश्यक शर्तों को निर्दिष्ट किया गया था। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने की शर्त यह है कि क्या समामेलन करने वाला बैंक अपने स्वयं के संसाधनों के उपयोग के माध्यम से या राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के माध्यम से समामेलित बैंक की जमा राशि की रक्षा करने का आश्वासन देता है। समामेलन करने वाले बैंक को दिए गए प्रोत्साहनों में घाटे में चल रही शाखाओं को बंद करने में लचीलापन, नई शाखाएं खोलने और समामेलित बैंक के अधिकृत डीलर (एडी) -I लाइसेंस को बनाए रखना शामिल है। इन दिशानिर्देशों से, शहरी सहकारी बैंकों के लिए समामेलन प्रक्रिया आसान और तेज होने की उम्मीद है। इसी तरह रिज़र्व बैंक ने 24 मई 2021 को डीसीसीबी के एसटीसीबी के साथ स्वैच्छिक समामेलन के लिए आवश्यकताएं और सांकेतिक मानदंड/शर्तों को निर्दिष्ट किया।

## III.सी गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए विनियामकीय नीतियां

*स्केल-आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क*

III.42 रिज़र्व बैंक 22 अक्टूबर 2021 को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करते हुए एनबीएफसी के लिए एक स्केल-आधारित विनियमन फ्रेमवर्क लेकर आया। फ्रेमवर्क विनियमन की तीव्रता में प्रगामी वृद्धि के साथ चार-स्तरीय संरचना - आधार स्तर(एनबीएफसी-बीएल), मध्य स्तर(एनबीएफसी-एमएल), ऊपरी स्तर(एनबीएफसी-यूएल) और शीर्ष स्तर पर आधारित है। आधार स्तर में जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) जिनकी आस्ति आकार ₹1000 करोड़ से कम हो और विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न अन्य एनबीएफसी शामिल हैं। इसका उद्देश्य उच्च स्तर के विनियमों के बोझ के बिना अधिक से अधिक प्रकटीकरण और बेहतर अभिशासन मानकों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना है। मध्य स्तर में मुख्य रूप से जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी और जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक है और कुछ विशेष एनबीएफसी शामिल हैं। इस स्तर के माध्यम से, बैंकों और एनबीएफसी के बीच मध्यस्थता के क्षेत्र - जो व्यवस्थित वृद्धि और प्रणालीगत स्थिरता के लिए हानिकारक थे - कम हो गए थे। ऊपरी स्तर में कुछ एनबीएफसी शामिल होंगे जिन्हें विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा मानदंडों के एक सेट और अंक प्राप्ति की पद्धति के आधार पर चुना जाएगा और यह अत्यधिक विनियामकीय कठोरता के अधीन होगी। पिरामिड की शीर्ष वाली स्तर को तब तक रिक्त रहने का प्रस्ताव दिया गया है जब तक कि रिज़र्व बैंक यह नहीं मानता कि ऊपरी स्तर में पड़ी एक विशिष्ट एनबीएफसी प्रणालीगत जोखिम पैदा करती है और उसे उच्च और पहले से निर्धारित विनियामकीय/पर्यवेक्षी आवश्यकताओं के अधीन होने

की आवश्यकता है। ये दिशानिर्देश 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे।

III.43 यह फ्रेमवर्क आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) को परिचालन के पैमाने और जटिलता के अनुपात में बनाने की बात करता है। वर्तमान में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात की आवश्यकता जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का 15 प्रतिशत है, जो कि किसी विभाजन जैसे कि कॉमन इक्विटी टिअर (सीईटी) 1 या अतिरिक्त टिअर I पूंजी के बिना है। विनियामकीय पूंजी की गुणवत्ता बढ़ाने के क्रम में, एनबीएफसी-यूएल को आरडब्ल्यूए के कम से कम 9 प्रतिशत की सीईटी-1 पूंजी बनाए रखनी होगी। इसके अलावा, एनबीएफसी-यूएल के लिए वृहद एक्सपोजर फ्रेमवर्क का आरंभ किया गया है। उधार और निवेश के लिए अलग से निर्धारित मौजूदा ऋण संकेंद्रण सीमा को एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल के मामले में एकल उधारकर्ता के लिए 25 प्रतिशत और उधारकर्ताओं के समूह के लिए 40 प्रतिशत की एकल एक्सपोजर सीमा में मिला दिया गया है। ये संकेंद्रण सीमाएं उनके स्वाधिकृत निधि के बजाय एनबीएफसी की टिअर 1 पूंजी के संदर्भ में निर्धारित की जाएंगी। मौजूदा एनपीए वर्गीकरण मानदंड को भी एनबीएफसी की सभी श्रेणियों के लिए 90 दिनों से अधिक की अतिदेय अवधि में बदल दिया गया है और एनबीएफसी-बीएल को 31 मार्च 2026 तक इसे हासिल करने के लिए एक आसान रास्ता प्रदान किया गया है। साथ ही, वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं की दृष्टि से, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की सदस्यता के वित्तपोषण पर प्रति उधारकर्ता ₹1 करोड़ की सीमा रखी गई है। इसके अलावा, मध्यम और ऊपरी स्तरों में एनबीएफसी के लिए एक उन्नत अभिशासन फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है।

*गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) / आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए विशेष चलनिधि योजना (एसएलएस)*

III.44 जुलाई 2020 में, सरकार ने एनबीएफसी/एचएफसी की अल्पावधिक चलनिधि संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ₹ 30,000 करोड़ के एसएलएस की घोषणा की। इस योजना के तहत, इन संस्थाओं द्वारा जारी 90 दिनों तक की अवशिष्ट परिपक्वता के निवेश ग्रेड वाणिज्यिक पत्र (सीपी) / अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) खरीदने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की स्थापना की गई थी। इस योजना ने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में कर्ज़ की खरीद की अनुमति दी। एनबीएफसी/एचएफसी को एसएलएस के तहत प्राप्त राशि का उपयोग केवल अपनी मौजूदा देनदारियों को खत्म करने के लिए करना था। एसएलएस के तहत, ₹ 7,126 करोड़ मुख्य रूप से सीपी के माध्यम से वितरित किए गए, जिनमें से 53 प्रतिशत एनबीएफसी और शेष एचएफसी को गए।

*एनबीएफसी के साथ एचएफसी के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को संरेखित करना*

III.45 9 अगस्त, 2019 से एचएफसी के विनियमन को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से रिज़र्व बैंक में स्थानांतरित करने के परिणामस्वरूप, सुचारू नियामक संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए 22 अक्टूबर 2020 को संशोधित नियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया था। विनियामक फ्रेमवर्क में जो प्रमुख परिवर्तन थे (ए) आवास वित्त कंपनियों के लिए आवास वित्त और प्रमुख व्यावसायिक मानदंड को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना; (बी) निवल स्वाधिकृत निधि की आवश्यकता को ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ करके पूंजी आधार को मजबूत करना; (सी) दोहरे उधार से संबंधित चिंताओं को दूर करने तथा दूरी रिश्ते को बनाए रखने के लिए स्थावर संपदा के कारोबार में लगी समूह कंपनियों के एक्सपोजर पर प्रतिबंध; (डी) चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर विनियमों की शुरूआत; (ई) प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देश; (एफ़) वित्तीय सेवाओं की बाह्यस्रोतिकरण पर दिशानिर्देश ताकि ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों को दूर किया जा सके; (जी) इंड-एएस का कार्यान्वयन करने वाले एचएफ़सी के लिए विशेषकर नियामक पूंजी के प्रावधानिकरण के विवेकपूर्ण पक्ष से संबंधित नियामक दिशानिर्देश। जहां तक संभव हो, अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए आगे कार्य किया जा रहा है।

*सरफेसी अधिनियम के तहत एनबीएफसी के लिए सुरक्षित कर्ज़ सीमा को कम करना*

III.46 24 फरवरी, 2020 को ₹100 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली एनबीएफ़सी को ₹50 लाख

और उससे अधिक के सुरक्षित कर्ज़ में सुरक्षा ब्याज को लागू करने के लिए सरफेसी अधिनियम का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, सरकार ने 12 फरवरी, 2021 को सुरक्षित कर्ज़ सीमा को घटाकर ₹20 लाख और उससे अधिक कर दिया। इससे छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों से एनबीएफसी की रिकवरी में सुधार की उम्मीद है।

*एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा*

III.47 वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व और विभिन्न खंडों के साथ उनके अंतर्संबंधों को ध्यान में रखते हुए, उनके लाभांश वितरण पर दिशानिर्देश 24 जून 2021 को जारी किए गए थे। लाभांश भुगतान के लिए पात्रता मानदंड उनकी पूंजी पर्याप्तता और निवल एनपीए स्तर से जुड़ा था, और अधिकतम लाभांश भुगतान अनुपात की उच्चतम सीमा निर्दिष्ट की गई थी।

## 4. पर्यवेक्षी नीतियां

III.48 रिज़र्व बैंक अपने पर्यवेक्षी कार्यों की प्रभावशीलता में लगातार सुधार करने का प्रयास करता है, ताकि विनियमित संस्थाओं की आघात सहने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। हमारे पर्यवेक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम भरी प्रथाओं और संस्थाओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए और उपकरणों और प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करने के लिए और आवश्यक प्रतिरूपकता और मापनीयता लाने के लिए एक सुविचारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) एससीबी, एआईएफआई, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी को कवर करने वाली वित्तीय प्रणाली के लिए एकीकृत पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। जुलाई 2020 से नवंबर 2021 के दौरान, बीएफएस की 16 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें पर्यवेक्षी कार्यों में सुधार के लिए पहल, ऑफ-साइट निगरानी को मजबूत करने के उपाय, ऑन-साइट पर परीक्षा और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बोर्ड ने कोविड-19 व्यवधानों के दौरान पर्यवेक्षी पहलों, आरई के लिए प्रवर्तन नीति, बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने पर संशोधित मानदंड, बैंकों के लिए पीसीए फ्रेमवर्क में संशोधन, एनबीएफसी के लिए नए पीसीए फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट दिवालियापन व्यवस्था और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए इसके निहितार्थ, विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी(स्विफ्ट) के निर्देशों का अनुपालन और बैंकों द्वारा डेटा स्थानीयकरण की समीक्षा की।

*विनियमित संस्थाओं में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति*

III.49 रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2021 में एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए। यह पहली बार था जब यूसीबी और एनबीएफसी के लिए इस तरह के दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। इसका उद्देश्य स्वामित्व-तटस्थ नियमों को स्थापित करना, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, लेखा परीक्षकों की नियुक्तियों में हितों के टकराव से बचना और आरई में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता और मानकों में सुधार करना है। दिशानिर्देश बोर्ड/ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति/आरई की स्थानीय प्रबंधन समिति पर विशेष रूप से लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता का आकलन करने और सुनिश्चित करने, उनकी नियुक्ति, पारिश्रमिक तय करने और प्रदर्शन समीक्षा के संबंध में ज़िम्मेदारी बढ़ाते हैं। ये दिशानिर्देश यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्तियां समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से की जाएं।

*अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क*

III.50 रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2022 से प्रभावी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क को संशोधित किया। अप्रैल 2017 में जारी पहले के फ्रेमवर्क के विपरीत, ऋणात्मक आस्ति पर प्रतिलाभ अब पीसीए शुरू करने के लिए उत्प्रेरक नहीं होगा।

III.51 लक्ष्मी विलास बैंक, जो पीसीए के अंतर्गत था, 27 नवंबर, 2020 को डीबीएस बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया था। सरकार द्वारा पूंजी डालने के बाद, आईडीबीआई बैंक और यूको बैंक के वित्तीय मानकों में सुधार हुआ और उन्हें क्रमशः 10 मार्च 2021 और 8 सितंबर 2021 को फ्रेमवर्क से

बाहर किया गया। इसी तरह, इंडियन ओवरसीज बैंक को 29 सितंबर, 2021 को फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया था। इन सभी बैंकों को कुछ शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन सामान्य बैंकिंग परिचालन शुरू करने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में, केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, अर्थात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीसीए के अधीन है।

*एनबीएफसी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क*

III.52 वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ एनबीएफसी के बढ़ते आकार और परस्पर जुड़ाव को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 14 दिसंबर 2021 को उनके लिए एक पीसीए फ्रेमवर्क तैयार किया। पीसीए फ्रेमवर्क, जो एनबीएफसी पर लागू पर्यवेक्षी साधनों को मजबूत करेगा, मार्च, 2022 के अंत की वित्तीय स्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। यह जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (सरकारी एनबीएफसी को छोड़कर) पर लागू होगा; और (ii) मध्य, ऊपरी और शीर्ष स्तर में जमा न लेने वाली सभी एनबीएफसी (सार्वजनिक निधि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को छोड़कर; सरकारी कंपनियां प्राथमिक व्यापारी; और एचएफसी)।

III.53 एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी (मुख्य निवेश कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर), पूंजी (सीआरएआर और टिअर I पूंजी अनुपात) और आस्ति गुणवत्ता (निवल एनपीए अनुपात) के लिए प्रमुख निगरानी मानदंड होंगे। सीआईसी के मामले में, पूंजी (समायोजित निवल संपत्ति/कुल जोखिम भारित आस्ति) और आस्ति गुणवत्ता के अलावा, ट्रैक करने के लिए लीवरेज एक अतिरिक्त पैमाना होगा (सारणी III.5)। फ्रेमवर्क कुछ अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाइयों को निर्धारित करता है जैसे लाभांश वितरण पर प्रतिबंध, अतिरिक्त पूंजी लगाने के लिए प्रमोटरों की आवश्यकता, लीवरेज में कमी और एक्सपोजर की सघनता, शाखा विस्तार पर प्रतिबंध, पूंजीगत व्यय, उधार और स्टाफ में बढ़ोतरी।

## 5. नई संस्थागत गतिविधियां

*राष्ट्रीय आस्ति पुनर्रचना कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल)*

III.54 कई प्रयासों के बावजूद, पुराने एनपीए का एक बड़ा स्टॉक बैंकों के तुलन-पत्र पर बना हुआ है, क्योंकि कुछ बड़े खाते विभिन्न उधारदाताओं में विभाजित हैं। चूंकि खराब आस्तियों के एकत्रीकरण से बहुत देर होती है, एनएआरसीएल, केवल वित्तीय संस्थानों द्वारा शामिल किया जा रहा है, इसमें संघ के सभी सदस्यों से खराब ऋण एकत्र करने की क्षमता होगी। यह त्वरित समाधान को प्रोत्साहित करेगा और बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद करेगा। एनएआरसीएल शुरू में ₹500 करोड़ और उससे अधिक के कुल प्रतिभूत बकाया जोखिम के साथ लगभग ₹2 लाख करोड़ के एनपीए का अधिग्रहण करेगा। मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, यह इन आस्तियों को नकद में 15 प्रतिशत अग्रिम भुगतान और एसआर में 85 प्रतिशत के माध्यम से प्राप्त करेगा। जारी किए गए एसआर की गारंटी सरकार द्वारा एसआर के अंकित मूल्य और उनकी समाधान प्रक्रिया से

**सारणी III.5: एनबीएफसी के पीसीए फ्रेमवर्क के लिए जोखिम सीमा**

| कार्यनिष्पादन संकेतक | विनियामकीय न्यूनतम (लीवरेज को छोड़कर) | सीमा-I | सीमा-II | सीमा-III |
|---|---|---|---|---|
| सीआरएआर* | 15% | ≥12% लेकिन 15% से कम | ≥ 9% लेकिन < 12% | 9% नीचे |
| टिअर-I पूंजी* | 10% | ≥8% लेकिन 10% से कम | 6% लेकिन 8% से कम | 6% नीचे |
| निवल एनपीए अनुपात** | - | >6% लेकिन ≤ 9% | >9% लेकिन ≤12% | 12% से अधिक |
| समायोजित निवल मालियत/ समग्र जोखिम भारित आस्तियां*** | 30% | <30% लेकिन ≥24% | <24% लेकिन ≥ 18% | 18% नीचे |
| लीवरेज अनुपात*** | 2.5 गुना | ≥2.5 गुना लेकिन <3 गुना | ≥ 3 गुना लेकिन <3.5 गुना | 3.5 गुना से अधिक |

**टिप्पणी:** *: एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी से संबंधित
**: सीआईसी, एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी से संबंधित
***: सीआईसी से संबंधित
**स्रोत:** आरबीआई।

वास्तविक वसूली के बीच के अंतर को पांच साल तक कवर करने के लिए दी जाएगी। इसके लिए 30,600 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

III.55 एनएआरसीएल को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया गया है और रिज़र्व बैंक द्वारा एआरसी लाइसेंस प्रदान किया गया है। एनएआरसीएल को बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) से इक्विटी योगदान के माध्यम से पूंजीकृत किया गया है, और यह आवश्यकतानुसार ऋण भी जुटाएगा। पीएसबी और सरकारी स्वामित्व वाली एफ़आई की न्यूनतम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी और शेष निजी क्षेत्र के पास होगी।

*राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफ़आईडी)*

III.56 इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण अंतराल एक सतत चुनौती है। इस क्षेत्र में अपने एक्सपोज़र पर दबाव का सामना करने के बाद, बैंकों ने जोखिम से परहेज किया और इस क्षेत्र में अपने उधार में कमी लायी। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लंबी अवधि आस्ति देयता बेमेल की ओर ले जाती है जो एक और चिंता का विषय था जिसने उधार देने को हतोत्साहित किया। इस चिंता को दूर करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) अधिनियम, 2021 के माध्यम से एक विकास वित्त संस्था (डीएफआई) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। केंद्रीय बजट 2021-22 ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। एनएबीएफआईडी को कर्ज़ और व्युत्पन्नी बाज़ार के विकास सहित दीर्घावधिक इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण की सुविधा के लिए प्रासंगिक हितधारकों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है।

## 6. वित्तीय बाज़ार

*लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) संक्रमण- दिशानिर्देशों की समीक्षा*

III.57 नियोजित लाइबोर संक्रमण बैंकों और वित्तीय प्रणाली के लिए एक चुनौती है। आरई और वित्तीय बाजारों के लिए एक सुचारु संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 8 जुलाई 2021 को बैंकों और अन्य आरई को एक संदर्भ दर के रूप में लाइबोर का उपयोग करने वाले नए अनुबंधों में प्रवेश करने से रोकने के लिए और इसके बजाय किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) को यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में, 31 दिसंबर 2021 के बाद नहीं अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। निर्यात ऋण में एआरआर के उपयोग, विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) (बी) जमा, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) के प्रावधान करने के लिए नियामक परिवर्तन किए गए हैं। लाइबोर और एआरआर के बीच ऋण और सावधि प्रीमियम में अंतर को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा ईसीबी/टीसी के लिए समग्र लागत सीमा को 100 बीपीएस और नए ईसीबी/टीसी के लिए 50 बीपीएस तक संशोधित किया गया है। चूंकि लाइबोर से संदर्भ दर में परिवर्तन एक "अप्रत्याशित घटना" है, यह स्पष्ट किया गया है कि इसकी वजह से किसी व्युत्पन्नी संविदा की शर्तों में परिवर्तन को पुनर्रचना के रूप में नहीं माना जाएगा।

*मुद्रा बाजार विनियमन - दिशानिर्देशों की समीक्षा*

III.58 मुद्रा बाजार लिखतों के विनियमों की समीक्षा की गई ताकि बाजारों में एकरूपता लायी जा सके और इसके निवेशक आधार का विस्तार किया जा सके। आरआरबी को कॉल, नोटिस और सावधि मुद्रा बाज़ार में भाग लेने और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने की अनुमति रही है। प्रतिभागियों को मौजूदा विवेकपूर्ण नियामक मानदंडों के भीतर कॉल, नोटिस और सावधि मुद्रा बाज़ार में अपनी उधार सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी गई है और सीडी जारीकर्ताओं को अल्पावधिक चलनिधि के प्रबंधन में अधिक लचीलेपन के लिए परिपक्वता से पहले सीडी वापस खरीदने की अनुमति दी गई है।

## 7. विदेशी मुद्रा नीतियां

*मियादी जमा में पार्किंग की अवधि में छूट*

III.59 उधारकर्ताओं को भारत में प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों के पास अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए

अप्रयुक्त ईसीबी राशि को मीयादी जमाराशियों में रखने की अनुमति है। उधारकर्ताओं को कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों से राहत प्रदान करने के लिए, 07 अप्रैल 2021 को एक बार की छूट प्रदान की गई थी, जिसमें 1 मार्च 2020 को या उससे पहले प्राप्त अप्रयुक्त ईसीबी राशि को भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के पास मियादी जमा में संभावित रूप से 1 मार्च 2022 तक जमा करने की अनुमति दी गई थी।

*निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) 'निर्यातकों की सतर्कता/असतर्कता सूचीकरण' के लिए मॉड्यूल – समीक्षा*

III.60 निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) के स्वचालन के एक भाग के रूप में, निर्यातकों की 'सतर्कता/ असतर्कता सूची' को 2016 में स्वचालित किया गया था। तदनुसार, निर्यातकों को यदि उनके खिलाफ ईडीपीएमएस में 2 साल से अधिक के लिए कोई शिपिंग बिल बकाया था और बकाया शिपिंग बिल की निर्यात आय की वसूली के लिए कोई विस्तार नहीं दिया गया था तो उन्हें स्वचालित रूप से सतर्कता-सूचीबद्ध किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो वर्ष की समाप्ति से पहले प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर सतर्कता-सूचीकरण की सामान्य प्रणाली जारी रही। अक्टूबर 2020 में, प्रणाली-आधारित स्वचालित सतर्कता-सूचीकरण बंद कर दिया गया था। प्रणाली को अधिक निर्यातक अनुकूल बनाने और निष्पक्ष बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की मामले-विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर सतर्कता-सूचिकरण करना जारी रखेगा।

*रिपोर्टिंग यौक्तिकीकरण*

III.61 नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ-साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के विनियमों के तहत विभिन्न अधिसूचनाओं के हालिया युक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा की गई। 67 विवरणियों की उनकी प्रासंगिकता, दाखिल करने के तरीके, प्रारूप और आवृत्ति के संबंध में समीक्षा की गई और 13 नवंबर 2020 से 17 विवरणियों को बंद कर दिया गया, इस प्रकार रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए अनुपालन की लागत कम हो गई।

## 8. ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन

III.62 धारणीय वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की खोज में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को एक संरचित और नियोजित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) 2019-24 का उद्देश्य समग्र और व्यवस्थित तरीके से पूरे देश में वित्तीय समावेशन के स्तर में तेजी लाना है। एनएसएफआई में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, वित्तीय समावेशन के आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों पर महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। आपूर्ति पक्ष में, 99 प्रतिशत से अधिक लक्षित गांवों में उनके 5 किमी के दायरे में बैंकिंग सेवाओं का प्रावधान और लगभग 32,000 कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से 1.91 लाख से अधिक व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) को अवगत कराना प्रमुख उपलब्धियां हैं। मांग पक्ष पर, बढ़ी हुई वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र एनएसएफआई के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस पृष्ठभूमि के आलोक में, वित्तीय रूप से बहिष्कृत वर्गों के लिए अंतिम कोस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अब तक 2020-21 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कई नीतिगत उपाय शुरू किए गए थे।

*व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल*

III.63 मार्च 2021 के अंत तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 95 प्रतिशत से अधिक बैंकिंग आउटलेट बीसी द्वारा परिचालित किए गए थे। वित्तीय सेवाओं के प्रभावी वितरण और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका को देखते हुए, कई तरह की पहल की गई जैसे एक बीसी प्रमाणन कार्यक्रम, बैंक अधिकारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम, और बीसी के बारे में विवरण का संग्रह रखने के लिए एक बीसी रजिस्ट्री पोर्टल रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था (बॉक्स III.2)।

**बॉक्स III.2: व्यवसाय प्रतिनिधि सर्वेक्षण**

बीसी क्षेत्र में पहल की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने और सुधार वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अक्टूबर 2020 में रिज़र्व बैंक द्वारा एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में 4,535 उत्तरदाताओं (2,934 बीसी और 1,601 बैंक अधिकारियों) को शामिल किया गया, जिसमें से 60 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से थे, इसके बाद आरआरबी और पीवीबी थे। बीसी उत्तरदाताओं में से 75 प्रतिशत कॉर्पोरेट बीसी थे और शेष 25 प्रतिशत सीधे बैंकों द्वारा तैनात किए गए थे। सर्वेक्षण को देश के सभी क्षेत्रों 29 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में रिज़र्व बैंक के 27 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नियंत्रित किया गया था। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- बीसी और बैंक अधिकारियों दोनों में से अधिकांश उत्तरदाताओं ने रिज़र्व बैंक की पहल के जवाब में बीसी के ज्ञान, क्षमताओं और विशेषज्ञता में समग्र सुधार का संकेत दिया।
- जागरूकता की कमी के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीसी के प्रमाणन में प्रगति धीमी थी।
- बीसी रजिस्ट्री पोर्टल के बारे में जागरूकता ने बैंक अधिकारियों और बीसी के बीच सुधार दिखाया।
- ट्रेन द ट्रेनर्स कार्यक्रम के कारण, अधिकांश बीसी अपने संबंधित बैंकों के साथ अपने समझौते के नियमों और शर्तों और बैंकों की शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में जानते थे।
- ट्रेन द ट्रेनर्स कार्यक्रम के माध्यम से और अधिक अवगत करवाने के लिए बैंक अधिकारियों द्वारा बार-बार साइट पर जाना सुनिश्चित किया गया है।
- लगभग 70 प्रतिशत बीसी ने संकेत दिया कि या तो बैंक अधिकारियों या कॉर्पोरेट बीसी द्वारा समय-समय पर हैंडहोल्डिंग अभ्यास करवाया जा रहा है।

*परक्राम्य गोदाम रसीदों (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीदों (ईएनडब्ल्यूआर) के लिए बैंक की उधार देने की सीमा में वृद्धि*

III.64 एनडब्ल्यूआर/ईएनडब्ल्यूआर पर ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) की सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹75 लाख प्रति उधारकर्ता कर दी गई ताकि कृषि उत्पादों को दृष्टिबंधित रखने के बदले किसानों को अधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके और विनियमित गोदामों द्वारा जारी किए गए एनडब्ल्यूआर/ईएनडब्ल्यूआर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। एनडबल्यूआर/ईएनडबल्यूआर के अलावा गोदाम रसीदों द्वारा समर्थित पीएसएल सीमा ₹50 लाख प्रति उधारकर्ता बनी रहेगी।

*लघु वित्त बैंक (एसएफबी) का एनबीएफसी-एमएफआई को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार*

III.65 महामारी की चुनौतियों के मद्देनजर और छोटे एमएफआई की चलनिधि संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, एसएफबी द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसाइटियों, ट्रस्टों आदि) को दिए गए नए ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते ये संस्था रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त स्व-विनियामकीय संगठन (एसआरओ) के सदस्य हैं। उपरोक्त लाभ 31 मार्च 2021 तक ₹500 करोड़ तक के सकल ऋण पोर्टफोलियो वाले एमएफआई पर लागू होंगे। इस योजना के तहत, एसएफबी को 31 मार्च 2021 तक अपने कुल पीएसएल पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति है।

*एमएसएमई के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान*

III.66 एमएसएमई के मौजूदा ऋणों का एकमुश्त पुनर्गठन, जो 1 जनवरी 2019 को चूक लेकिन 'मानक' थे, को आस्ति वर्गीकरण में अवनति के बिना अनुमति दी गई थी। पुनर्गठन को 31 मार्च 2020 तक लागू करने की आवश्यकता थी। यह योजना उन एमएसएमई को उपलब्ध कराई गई थी जो बैंकों और एनबीएफसी से कुल उधार पर ₹ 25 करोड़ की उच्चतम सीमा और जीएसटी-पंजीकृत होने जैसे मानदंडों के संदर्भ में अर्हता प्राप्त हैं। तब से, इस योजना को एमएसएमई खातों पर लागू नवीनतम पुनर्गठन के साथ तीन बार बढ़ाया गया है जो 31 मार्च 2021 तक चूक लेकिन 'मानक' थे। उधारकर्ता खातों के पुनर्गठन को 30 सितंबर 2021 तक लागू किया जाना था। इसके अलावा, बैंकों और एनबीएफसी से कुल उधारी की उच्चतम सीमा को ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना ने एमएसएमई उधारकर्ताओं के तनाव को दूर करने में मदद की (सारणी III.6)।

**सारणी III.6: एमएसएमई अग्रिमों का पुनर्गठन**

| परिपत्र संदर्भ | मापदंड | पीएसबी | पीवीबी | एफबी | एससीबी |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी 2019 परिपत्र के तहत | पुनर्गठित खातों की संख्या | 651503 | 2602 | - | 654105 |
| | पुनर्गठित पात्र खातों का % | 44.87 | 2.51 | - | 42.04 |
| | पुनर्गठित ऋण राशि (रुपये करोड़ में) | 26190 | 2174 | - | 28364 |
| | पुनर्गठित पात्र राशि का % | 22.3 | 10.2 | - | 20.5 |
| फरवरी-2020 परिपत्र के तहत | पुनर्गठित खातों की संख्या | 142299 | 3543 | - | 145842 |
| | पुनर्गठित पात्र खातों का % | 11.2 | 1.18 | - | 9.29 |
| | पुनर्गठित ऋण राशि (रुपये करोड़ में) | 5860 | 1364 | - | 7224 |
| | पुनर्गठित पात्र राशि का % | 5.9 | 3.6 | - | 5.3 |
| अगस्त 2020 परिपत्र के तहत | पुनर्गठित खातों की संख्या | 377208 | 466552 | 1 | 843761 |
| | पुनर्गठित पात्र खातों का % | 9.31 | 6.07 | 10.0 | 7.19 |
| | पुनर्गठित ऋण राशि (रुपये करोड़ में) | 18232 | 11026.98 | 17.7 | 29277 |
| | पुनर्गठित पात्र राशि का % | 4.4 | 6.4 | 8.2 | 5.0 |
| मई 2021 परिपत्र के तहत | पुनर्गठित खातों की संख्या | 466106 | 341668 | 447 | 808221 |
| | पुनर्गठित पात्र खातों का % | 11.33 | 3.49 | 1.66 | 5.80 |
| | पुनर्गठित ऋण राशि (रुपये करोड़ में) | 27856 | 23122 | 489 | 51467 |
| | पुनर्गठित पात्र राशि का % | 8.49 | 8.31 | 1.00 | 7.86 |
| कुल | पुनर्गठित खातों की संख्या | 1637116 | 814365 | 448 | 2451929 |
| | पुनर्गठित पात्र खातों का % | 15.04 | 4.55 | 1.66 | 8.51 |
| | पुनर्गठित ऋण राशि (रुपये करोड़ में) | 78138 | 37687 | 507 | 116332 |
| | पुनर्गठित पात्र राशि का % | 8.14 | 7.42 | 1.03 | 7.67 |

**टिप्पणी**: 1. पीवीबी में एसएफबी से संबंधित डेटा शामिल हैं।
2. शून्य/नगण्य।
**स्रोत:** जैसा कि बैंकों द्वारा बताया गया है।

## 9. उपभोक्ता संरक्षण

III.67 हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक का बैंकों में ग्राहक सेवा और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार प्रमुख क्षेत्र रहा है।

III.68 जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि से लेकर बीमा कवर तक आसान और समयबद्ध पहुंच प्रदान करने के लिए, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 को संसद द्वारा अगस्त 2021 में संशोधित किया गया था, जिसमें डीआईसीजीसी ऐसी देयता उत्पन्न होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर जमा कवर के अंतरिम भुगतान प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, डीआईसीजीसी को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के अधीन जमा बीमा प्रीमियम को कुल निर्धारणीय जमाराशियों के 0.15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। डीआईसीजीसी को बीमित बैंकों के लिए पुनर्भुगतान अवधि को स्थगित करने या बदलने और देरी के मामले में रिपो दर पर 2 प्रतिशत का दंडात्मक ब्याज लगाने का अधिकार दिया गया था। अधिनियम में संशोधन 1 सितंबर 2021 से लागू हुआ।

*बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना*

III.69 बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए, 27 जनवरी 2021 को ग्राहक सेवा के वार्षिक मूल्यांकन की परिकल्पना करते हुए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताएं हैं: (i) बैंकों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों पर बढ़ाए गए प्रकटीकरण; (ii) एक सीमा से अधिक शिकायतों के निवारण की लागत की वसूली के रूप में बैंकों के लिए मौद्रिक निरुत्साहन; और (iii) अपने तंत्र में सुधार करने में विफल बैंकों की शिकायत निवारण प्रणाली की गहन समीक्षा।

III.70 फ्रेमवर्क के तहत, शिकायत निवारण के मामले वाले बैंकों की गहन समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के निष्कर्षों

के आधार पर, एक उपचारात्मक कार्य योजना तैयार की जाएगी और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर कार्यान्वयन के लिए औपचारिक रूप से बैंक को सूचित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय के भीतर शिकायत निवारण तंत्र में कोई सुधार नहीं देखा जाता है, तो बैंक उचित विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के अधीन होगा।

*लोकपाल योजनाओं का एकीकरण*

III.71 ग्राहक शिकायत निवारण की प्राथमिक जिम्मेदारी वित्तीय सेवा प्रदाताओं की होती है। जिन शिकायतों का समाधान इस तंत्र के माध्यम से नहीं होता है, उन्हें रिज़र्व बैंक के लोकपाल या उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष (सीईपीसी) को भेजा जा सकता है। पूर्ववर्ती तीन लोकपाल योजनाओं को 12 नवंबर 2021 से एक ही रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 में एकीकृत किया गया था और लोकपाल संरचना को अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ा गया था (बॉक्स III.3)।

*आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना*

III.72 रिज़र्व बैंक ने व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए सर्व-समाधान केंद्र के रूप में 12 नवंबर, 2021 को 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष' योजना शुरू की। यह योजना व्यक्तियों को गैर-प्रतिस्पर्धी खंड में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के प्राथमिक निर्गम में भाग लेने और एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने/बेचने में सक्षम बनाती है।

## 10. भुगतान और निपटान प्रणाली

III.73 रिज़र्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में "अल्प नकद" समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया है। इसका उद्देश्य एक भुगतान प्रणाली प्रदान करना है जो तेजी से प्रसंस्करण को सक्षम करने वाले तकनीकी समाधानों का लाभ उठाकर संरक्षा, सुरक्षा, सुविधा में बढ़ोतरी और पहुंच जैसी विशेषताओं को जोड़ती है। सामर्थ्य, अंतरप्रचालनीयता, ग्राहक जागरूकता और सुरक्षा प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, बैंक भुगतान सेवाओं के लिए पारंपरिक प्रवेश द्वार रहे हैं। तेज

### बॉक्स III.3: रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना को रिज़र्व बैंक द्वारा 1995 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत एक वैकल्पिक ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में शुरू किया गया था। यह योजना, जो पहले एससीबी और अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं तक सीमित थी, 2002 में आरआरबी को कवर करने के लिए संशोधित की गई थी और ग्राहक शिकायतों के कई नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए 2006 में इसमें और सुधार किया गया था। 2018 में, एनबीएफ़सी के लिए लोकपाल योजना शुरू की गई थी और एक साल बाद, विशेष रूप से डिजिटल लेनदेन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल योजना शुरू की गई थी।

तंत्र को और मजबूत करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 12 नवंबर 2021 को पहले से मौजूद तीन योजनाओं को एक एकीकृत लोकपाल योजना में समेकित किया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री और रिज़र्व बैंक के गवर्नर की उपस्थिती में प्रधान मंत्री द्वारा वर्चुअली किया गया था। नई योजना के तहत अब इस बात की पहचान करने की आवश्यकता नहीं होगी कि किस योजना के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवाना है। इसके अलावा, लोकपाल योजना के दायरे का विस्तार गैर-अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए किया गया है, जिनका जमा आकार 50 करोड़ और उससे अधिक है।

नया तंत्र विवाद निवारण को सरल और ग्राहकों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है। ईमेल और भौतिक माध्यमों से शिकायतों की प्राप्ति के लिए चंडीगढ़ में एक टोल फ्री नंबर वाला एक 'केंद्रीकृत रसीद प्रसंस्करण केंद्र' स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, योजना ने 'सेवा में कमी' को एक शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें बहिष्करणों की एक निर्दिष्ट सूची है। 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि तंत्र क्षेत्राधिकार तटस्थ है।

एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या समकक्ष में एक महाप्रबंधक के पद का प्रधान नोडल अधिकारी एक आरई का प्रतिनिधित्व करने और शिकायतों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा। आरई को उन मामलों में संतोषजनक और समय पर सूचना प्रस्तुत नहीं करने के लिए अपील करने का अधिकार नहीं होगा जहां लोकपाल द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है।

गति वाले तकनीकी परिवर्तनों के साथ, इस कार्यक्षेत्र पर अब बैंकों का एकाधिकार नहीं है। गैर-एनबीएफ़सी के साथ फिनटेक, टेकफिन और बिगटेक जैसी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं और साथ ही या तो प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता या डिजिटल भुगतान सेवाओं के प्रत्यक्ष प्रदाता के रूप में बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। विनियामकीय फ्रेमवर्क ने उपभोक्ता सहजता, संरक्षा, सुरक्षा और प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रति सचेत रहते हुए भुगतान क्षेत्र में विविध भागीदारी को प्रोत्साहित किया है।

*पीपीआई में संवर्धन*

III.74 19 मई 2021 को रिज़र्व बैंक ने पीपीआई अंतरप्रचालनीयता को अनिवार्य कर दिया, पीपीआई में अधिकतम बकाया राशि को बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया और पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद निकासी की अनुमति दी। इन उपायों से स्वीकृति इंफ्रास्ट्रक्चर का इष्टतम उपयोग, सहज ग्राहक अनुभव और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को अपने प्रस्ताव को पूर्ण-केवाईसी पीपीआई में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

*संपर्क रहित माध्यम में कार्ड से लेनदेन – अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता में छूट*

III.75 2015 में रिज़र्व बैंक ने, प्रति लेनदेन ₹ 2,000 तक के मूल्यों के लिए अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता के बिना एनएफसी-सक्षम ईएमवी चिप कार्ड का उपयोग करके संपर्क रहित लेनदेन की अनुमति दी। कोविड-19 महामारी के अनुभव को ध्यान में रखते हुए और उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध पर्याप्त सुरक्षा को देखते हुए, 1 जनवरी 2021 से प्रति लेनदेन सीमा को बढ़ाकर ₹ 5,000 करने का निर्णय लिया गया।

*भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि योजना का परिचालन*

III.76 भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ टिअर-3 से टिअर-6 केंद्रों में भुगतान स्वीकृति इंफ्रास्ट्रक्चर के अभिनियोजन को आर्थिक सहायता देना था। पीआईडीएफ का लक्ष्य लक्षित क्षेत्र में हर साल 10 लाख भौतिक और 20 लाख डिजिटल स्वीकृति उपकरणों को लगाने में मदद करना था। यह योजना 01 जनवरी 2021 से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिचालित की गई थी। अगस्त 2021 में, टिअर-1 और टिअर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) के लाभार्थियों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया गया था। 30 नवंबर 2021 तक, योजना में योगदान ₹ 614 करोड़ था और 77.16 लाख भुगतान स्वीकृति उपकरण तैनात किए गए हैं।

*गैर-बैंकों के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली तक पहुंच*

II.77 गैर-बैंकों की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) तक सीधी पहुंच भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र जोखिम को कम करती है। यह गैर-बैंकों के लिए भी लाभकारी है जैसे भुगतान की लागत में कमी, बैंकों पर निर्भरता को कम करना, भुगतान पूरा करने में लगने वाले समय को कम करना और भुगतान को पूरा करने में अनिश्चितता को समाप्त करना क्योंकि निपटान केंद्रीय बैंक के पैसे में किया जाता है। गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा सीधे लेनदेन शुरू और प्रसंस्कृत किए जाने पर निधि अंतरण के निष्पादन में विफलता या देरी के जोखिम से भी बचा जाता है। इन लाभों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पीएसपी), अर्थात पीपीआई जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क और श्वेत लेबल एटीएम परिचालक को 28 जुलाई 2021 से सीपीएस में प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में भाग लेने की अनुमति दी।

*टोकनाइजेशन: कार्ड लेनदेन*

III.78 रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं पर एक फ्रेमवर्क जारी किया था। शुरुआत में यह मोबाइल फोन और टैबलेट तक सीमित था, बाद में इसे अगस्त 2021 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सहित अन्य उपकरणों तक बढ़ा दिया गया था। सितंबर 2021 में, कार्ड

नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति देकर इस फ्रेमवर्क के दायरे को और बढ़ा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि 1 जुलाई, 2022 से कार्ड जारीकर्ता और/या कार्ड नेटवर्क के अलावा, कार्ड लेनदेन/भुगतान श्रृंखला में कोई भी संस्था वास्तविक कार्ड डेटा संग्रहीत नहीं करेगी; और पहले से संग्रहीत ऐसा कोई भी डेटा हटा दिया जाएगा।

*रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब*

III.79 रिज़र्व बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी के रूप में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना की है, रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिसका एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसमें उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित सदस्य शामिल हैं, ताकि प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और एक ऐसा वातावरण बनाना जो नवाचार को बढ़ावा देगा और सुविधाजनक बनाएगा। आरबीआईएच की भूमिका वित्तीय नवाचार क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों (जैसे, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र, नियामकों और शिक्षाविदों) के बीच अभिरूपता लाना है। यह फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप के साथ निरंतर जुड़ाव की सुविधा के लिए आवश्यक आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करेगा।

## 11. समग्र मूल्यांकन

III.80 महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट और हाउसहोल्ड क्षेत्र में दबाव की स्थिति पैदा हुई और मांग में कमी आयी। समेकित प्रयासों के माध्यम से, रिज़र्व बैंक और सरकार वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को नियंत्रित करने में सफल रहे। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होती है, पर्याप्त बफर बनाने और उभरते जोखिमों के प्रति सतर्क रहने पर नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रतिकूल चयन के जोखिम को कम करने के लिए समाधान फ्रेमवर्क को डिजाइन किया गया था। समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद उधारकर्ताओं के लिए उच्च प्रावधान अपेक्षाओं और कठोर कार्यनिष्पादन आवश्यकताओं से ऐसे जोखिमों के प्रभाव को और कम करने की उम्मीद है। अल्पावधिक चलनिधि और व्यवहार्य उधारकर्ताओं के लिए विनियामकीय समर्थन के बीच प्रभाव-अंतरण और मध्यम अवधि के व्यापक-वित्तीय स्थिरता जोखिमों को सावधानीपूर्वक संतुलित करने की आवश्यकता है। आगे देखते हुए, ऋण चक्र के लिए कर्षण हासिल करना और आगामी आर्थिक सुधार का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए नीतिगत पहलों की आवश्यकता होगी जो प्रभावी जोखिम प्रबंधन और सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करे। बैंकिंग की बदलती प्रकृति-विशेष रूप से प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग-एक समावेशी और सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौतियों के साथ-साथ अवसरों को प्रस्तुत करता है और विनियामकीय और पर्यवेक्षी कार्यकलाप की गति बनाए रखने की आवश्यकता है।